पर्यावरण: समग्रता से विचार की आवश्यकता

विवेक माधव पटाईत

Retired Principal Private Secretary, Govt. of India

भारत सरकार में 38 साल कामकरने के बाद मैं प्रधान निजी सचिव पद से निवृत हुआ। नौकरी के कालखंड में रायसीना पहाड़ी पर स्थित बड़े-बड़े कार्यालयों में बड़े-बड़े अधिकारियों के साथ कार्य करने का अवसर मिला। इस दौरान पर्यावरण के क्षेत्र में काम करनेवाले लोगों से भीबातचीत का मौका मिला। उसी के आधार पर यह अपनी अल्प बुद्धि से यह लेख लिखने का प्रयत्न किया है। यदि इस लेख से किसी की भावनाएं आहत होती है तो उसके लिए पहले ही क्षमा मांगता हूँ ।

दिल्ली दरबार में कार्यरत अधिकांश बाबू पर्यावरण के क्षेत्र में काम करनेवालों को शंका की निगाह से देखते हैं। उन्हें लगता है, इनका काम जनता के भलाई के प्रोजेक्ट्स रोककर, उनमें अड़ंगे दाल कर देश को लाखों करोड़ों का नुकसान पहुंचाना है। वे इन्हें देश के विरुद्ध षड्यंत्र रचने वाले “डीप स्टेट” के सिपाही समझते हैं। एक तो आप अपना कीमती समय निकालकर पर्यावरण की रक्षा का काम करो और लोग आपको शंका की निगाह से देखें, यह तो उचित नहीं है। इसका कारण क्या है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। गलती कहाँ हुई, यह समझने की जरूरत है। मुझे लगता है पर्यावरण के क्षेत्र में काम करनेवाले पर्यावरण को समग्रता से नहीं समझते हैं। इसी वजह से वे गलत निर्णय लेते हैं। जिसका परिणाम जनता उन्हें शंका की निगाह से देखती है।

इसी को एक उदाहरण से समझा जा सकता है। पेड़ को कटने से बचाना पर्यावरण दृष्टि से अच्छा कार्य है। पेड़ को बचाने के लिए आंदोलन करना, सरकार पर दबाव बनाना और जरूरत पड़ने पर अदालत में जाने में कोई बुराई नहीं। परंतु ऐसा करने से पहले सिक्के के दूसरे पहलू को देखते हुए समग्रता से विचार करने की भी आवश्यकता होती है। क्या उस पेड़ को काटना आवश्यक है? क्या पेड़ को काटने के बाद पर्यावरण पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा की बुरा पड़ेगा? क्या उस पेड़ को काटने के बाद, काटने वाले ने दूसरी जगह पेड़ लगाएँ है? इन सभी के जवाब ढूँढने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। यही सवाल जब मैंने इस क्षेत्र में कार्य करनेवाले एक एनजीओ कार्यकर्ता से पूछा वे किस आधार पर कार शेड का विरोध कर रहे हैं। तो उनके पास कोई तार्किक उत्तर नहीं था । क्योंकि मेट्रो दस गुना ज्यादा पेड़ लगा चुकी थी। ढाई साल काम रुकने से सरकार को एक अनुमान के अनुसार केवल इसी प्रोजेक्ट्स को दस हजार करोड़ से ज्यादा नुकसान हुआ। तीन साल की देरी का अर्थ दस लाख यात्रियों को तीन साल इंतजार करना पड़ेगा। इस दौरान यात्रियों को बस, टैक्सी, ऑटो, स्कूटर, बाइक से यात्रा करनी पड़ेगी। इससे होने वाला प्रदूषण, यदि मेट्रो कोई पेड़ न लगाती, तब भी उन पेड़ों कों काटने से होने वाले प्रदूषण से कम से कम 100 गुना ज्यादाहोता। दिल्ली के वायु प्रदूषण को कम करने में मेट्रो का बहुत बड़ा योगदान है। आज 70 लाख यात्री रोज मेट्रो से यात्रा करते है। मेट्रो ना होती तो प्रदूषण कितना होता इसकी कल्पना ही की नहीं जा सकती। लेकिन दिल्ली में भी इसी वजह से फेज-IV की एक मेट्रो लाइन के कई हिस्सों में तीन वर्ष काम बंद रहा। अब यह मेट्रो लाइन 2024 की जगह 2026 में पूरी होगी।

यदि समग्रता से विचार किया जाता तो पर्यावरण क्षेत्र में काम करने वाले एनजीओ इत्यादि प्रदूषण कम करनेवाले मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट्स का हमेशा समर्थन करते। उन्हें जल्दी पूरा करने के लिए सरकार पर दबाव बनाते।

विषय पेड़ काटने का है। आज कोई व्यक्ति अपने घर में लगा पेड़ काट नहीं सकता है। यदि काटना हो तो दिल्ली में तो 20 से 50 हजार दक्षिणा देनी पड़ती है। नतीजा खाली जगह होते हुए भी आज कोई भूलकर भी अपने आँगन में पेड़ नहीं लगाता है। केवल गमले वाले पौधे ही लगाता है। पेड़ काटने के कानून को आज बदलने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति को अपने घर और खेत का पेड़ काटने का अधिकार होना चाहिए। उसे केवल ऑनलाइन सूचना देने की बाध्यता होनी चाहिए। ऐसा होने पर लोग घर और खेत में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे। पेड़ की लकड़ी घर बनाने और फर्नीचर के लिए सबसे कम प्रदूषण करनेवाली सामग्री है। यह घर के तापमान को भी नियंत्रण में रखती है। वैसे भी पहले अधिकांश घर लकड़ी, बैम्बू और मिट्टी से ही बनते थे। घर निर्माण में पेड़ों का प्रयोग तभी होगा जब सरकार पेड़ों की खेती को प्रोत्साहन देगी। इससे घर और कार्यालयों में लकड़ी का प्रयोग बढ़ेगा।पर्यावरण की शुद्धि में भी पेड़ योगदान भी देंगे।

महाराष्ट्र घूमते समय वहाँ मैंने एक महान सामाजिक कार्यकर्ता की समाधि के दर्शन किए। वहाँ के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने मुझे बताया की लकड़ी के जलने से प्रदूषण होता है, इसलिए उन्होंने समाधि ली। मैंने उससे कहा, उनकी पक्की समाधि बनाने के लिए सैकड़ों इंटे, सीमेंट, टाइल्स, रोड़ी और बजरी इत्यादि लगी होगी। समाधि बनाने की सामग्री पहाड़ तोड़कर और धरती खोद कर निकाली गयी होगी। बिना प्रदूषण फैलाये यह सामग्री उपलब्ध नहीं हो सकती। जब भी पहाड़ को तोड़ा जाता है, जमीन खोदी जाती है, तब उस क्षेत्र के पेड़, पौधे, पक्षी, जानवर हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा इन सब से जो प्रदूषण होता है, वह अंतिम संस्कार के लिए तीन क्विंटल लकड़ी जलने के प्रदूषण से सैकड़ों गुना ज्यादा ही होगा। उनकी समाधि ने जो जगह घेर रखी है, वहाँ उनकी स्मृति में पेड़ लगा दिये जाते, तो ज्यादा उचित होता। पेड़ अपने जीवनकाल में वायु को साफ करेंगे, तापमान को नियंत्रित करेंगे, पशु- पक्षियों को आसरा देंगे और बाद में लोगों के अंतिम संस्कार के भी काम आएंगे। मेरी बात सुनकर उसे गुस्सा आ गया। लेकिन अगले दिन, उसने मुझसे कहा वह मेरे विचार से सहमत है।

तीन महीने पहले मैं ग्रेटर नोएडा शिफ्ट हुआ। यहाँ देखा सड़क के बीच में तीस से चालीस फूट जगह छोड़ी गयी है। इस जगह पर अथॉरिटी ने केवल घास और झाड़ियाँ लगाई है। बड़े पेड़ नहीं लगाए हैं। यदि इस जगह पेड़ लगे होते तो वे सड़क पर चलने वाले वाहनों उठने वाली धूल और शोर को रोकते। प्रदूषण कम करने में भूमिका निभाते और पशु-पक्षियों को आसरा भी देते। पूछताछ करने पर मालूम पड़ा भविष्य में यदि बीस से तीस साल बाद सड़क चौड़ी करनी पड़े, तो झाड़ियाँ काटने के लिए पर्यावरण से संबन्धित विभागों की अनुमति की जरूरत नहीं होती है। लेकिन पेड़ काटने के लिए होती है। पेड़ काटने की अनुमति देनेवाले विभाग अनुमति देने में कई साल लगा देते है। पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले एनजीओ इत्यादि भी अनुमति न देने के लिए सरकार और न्यायपालिका पर दबाव बनाते है। फलस्वरूप प्रोजेक्ट्स पूरा करने में कई साल की देरी होती है। सड़क चौड़ी करने में देरी का अर्थ ट्रैफिक जाम की वजह से होने वाला भयंकर प्रदूषण। भविष्य के प्रोजेक्ट्स में दिक्कत न आए इसलिए सरकारी संस्थाएं भी खाली जगह पेड़ नहीं लगाती है। आज पर्यावरण संबन्धित अनुमति देने वाले विभाग अपने उद्देश्य से भटक गये हैं, क्योंकि वहाँ भी समग्रता से विचार करने वाले अधिकारी नहीं है। ग्रीन ट्रिब्यूनल इत्यादि की अनुमति देने में की गई देरी की वजह से हर साल विभिन्न सरकारी संस्थाओं को हजारों करोड़ का नुकसान होता है। आखिरकार, मनुष्य स्वार्थी जीव है, यदि पेड़ लगाने से उसे लाभ होगा तभी वह लगाएगा। इसी आधार पर सरकारी नीति और नियम तय होने चाहिए। नियम ऐसे हों की सरकारी और गैर सरकारी संस्थान उनकी खाली जमीन पर लाखों पेड़ बिना किसी चिंता के लगा सकें। जब आवश्यकता हो उन्हें काट भी सके। इससे पर्यावरण सुधार तो होगा ही, साथ में पेड़ों के व्यापारिक उपयोग भी उनकी आमदनी बढ़ाएगा। इसी के साथ मैं अपनी लेखनी को पूर्ण विराम देता हूँ।